ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 174-176**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

मुस्लिम महिलाओं में सशक्तिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्रीय अध्ययन

1. शहनाज खातून
2. प्रो0 अर्चना सिंह

1. शोध अध्येत्री, 2. शोध निर्देशिका, समाजशास्त्र विभाग, दिग्विजय नाथ पी जी कॉलेज, गोरखपुर (उ0प्र0) भारत

Received-03.09.2024, Revised-10.09.2024, Accepted-17.09.2024 **E-mail : sanakhansana24726@gmail.com**

सारांशः किसी भी समाज में महिलाओं के विकास के लिए सबसे बड़ा संसाधन वहां के लोग हैं। महिलाओं के विकास की समस्याओं का समाधान समाज द्वारा ही संभव है। ग्राम और नगर का विकास तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक उसमें स्थानीय जन भागीदारी सुनिश्चित ना हो। स्थानीय स्तर की समस्याओं व उनके समाधान की बेहतर जानकारी उन्हीं पास है, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध में संसाधनों से किस प्रकार अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसका भी आकलन वहा के लोग ही कर सकते हैं। मुस्लिम समाज एवं अन्य समाजों के बीच और भीतर व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। साथ ही, इस्लाम के प्रति उनका पालन एक सजा कारक है जो उनके जीवन को अलग–अलग हद तक प्रभावित करता है और उन्हें एक सामान्य पहचान देता है जो उनके बीच व्यापक सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक मतभेदों को पाटने का काम करता है। एक महिला को खुश रहने का,जानने का एवं उसके जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों को सुनने का अधिकार है उसे यह भी अधिकार है कि अपने शरीर से संबंधित उसके विचारों का सम्मान किया जाए। परिवार एवं समाज में उसकी स्थिति का सम्मान किया जाए। एक सशक्त महिला गुलामी से आजाद होती है। परिवार, समाज एवं राष्ट्र द्वारा किए जाने वाले मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक शोषण से वह स्वतंत्रत होती है। उसे यह भी अधिकार होता है कि वह अपने इच्छा अनुसार पूर्णतरू अपना आध्यात्मिक, सामाजिक, बौद्धिक, कलात्मक एवं राजनीतिक विकास कर सके। अपने पति एवं ससुराल वालों के प्रति उस प्रकार का सम्मान प्रदर्शित न करने पर जैसा कि वह उससे चाहते हैं अथवा पुरुषवादी सोचो के अनुरूप न चलने पर महिला पर दुशचरित्रता का आरोप लगा दिया जाता है। उसे शर्मिंदा किया जाता है, यह उसके प्रति नैतिक दुर्व्यवहार है बिना किसी प्रमाण के उस पर किसी पुरुष के संबंध रखने का आरोप लगा दिया जाता है।

कुंजीभूत शब्द– सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन, संसाधन, समाधान, भागीदारी, मुस्लिम समाज, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक

आज उसे युगों की पुरानी पुरुषवादी सामाजिक वृत्ति को चुनौती देने की आवश्यकता है जो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम महत्वपूर्ण देती है। सैकड़ो वर्षों से उसे मूलभूत मानवीय सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। अब समाज किसी तरह भी इन वृत्तियो, प्रथाओं एवं व्यवहार को सही नहीं बता सकता है। समझदारी की इसी कमी के कारण हमारी सभ्यता पीड़ित रही है और उसे हानि उठानी पड़ी है। 'महिलाओ के अधिकारों के मामले में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं ऐसा मानता हूं कि महिलाओं को ऐसी कोई कानूनी रुकावट नहीं होनी चाहिए जो पुरुषों को नहीं झेलनी पड़ती है। जब तक भारत वर्ष की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धार्मिक, राजनीति एवं सांसारिक मामलो में बराबरी से अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करती तब तक भारतवर्ष का भाग्य उदय नहीं हो सकता है।

उद्देश्य–

- वर्तमान संदर्भ में मुस्लिम महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता।
- मुस्लिम महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम।
- मुस्लिम महिलाओं के महत्व को समझने एवं उनके अधिकारों को जानने की योग्यता का विकास।
- मुस्लिम महिला सशक्तिकरण के मार्ग की रूकावटों की पहचान की योग्यता का विकास।
- मुस्लिम महिला के विरुद्ध होने वाले इंसानों के विभिन्न प्रकार को जानने की योग्यता का विकास।

मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने के लिए शिक्षित करना आवश्यक है। बिना शिक्षित हुए न तो महिलाएं अपने हक को समझ सकेंगी न आर्थिक रूप से सुदृढ हो पाएंगी। हाल ही में बिहार में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा स्तर सुधरा है। दो दशक पूर्व जहां महिलाओं के साक्षरता दर 5% से भी कम था। वही आज यह दर 30 फीसदी से भी ज्यादा हो गई है मुस्लिम की कुल साक्षरता दर भी 30 फीसदी से बढ़कर 42 हो गई है। स्ट्रेटजी एंड एप्रोचेंज इन पावर यंग मुस्लिम संगोष्ठी के दौरान इस तरह की राय वक्ताओं ने व्यक्त की है। संगोष्ठी अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया ओरिजिन (एफ मी) और फोरम फॉर लिटरेसी अवेयरनेस (फ्लेम) ने किया।[1]

पीएम मोदी और ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया। जिसे मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019 के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संसद द्वारा 23 जुलाई 2019 को एक कानून के रूप में पारित किया गया था ताकि ट्रिपल तलाक को एक अपराधी अपराध बनाया जा सके। प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया यही कानून मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस कानून के 1 साल बाद तीन तलाक के मामलों के में करीब 82: की कमी दर्ज की गई है। भारत में मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिया गया है यहां के मुस्लिम महिलाएं हर मैदान में झंडा गाड़ रही है।[2]

आज परिवर्तन के दौर में मुस्लिम महिलाओं को इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वैवाहिक जीवन और पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा, रोजगार तथा विकास के साथ–साथ अपने

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

करियर के प्रति निरंतर चेतना का विकास हो रहा है। इसके फल स्वरुप मुस्लिम समाज में एक नवीन सामाजिक घटना उभर रही है। आजादी के बाद जैसे–जैसे हमारा पाश्चात्य देशों से संपर्क बढ़ा तो उसे पश्चात्यकरण के प्रभाव से भारतीय मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का प्रसार धीरे–धीरे बढ़ना प्रारंभ हुआ और इस शिक्षा के प्रभाव ने धर्म के दायरे से सिमटी मुस्लिम महिलाओं के विचारधाराओं में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया।

अन्य धर्म की महिलाओं को देखकर मुस्लिम महिलाओं में भी अपने अधिकारों की जागृति और खुलेपन की चाह सामान्य रूप से बढ़ रही है। वैसे तो प्राचीन काल से मुस्लिम समाज ने महिलाओं को उनके शारीरिक रचना के कारण पुरुषों की तुलना में निम्न माना जाता है। वर्तमान दौर के औद्योगिक विकास के साथ–साथ मुस्लिम समाज में महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन आया है और महिलाओं को अपने अधिकार और न्याय प्राप्त होने लगा है इस्लाम धर्म में उन्हें पूर्वी स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं बराबरी के अधिकार प्राप्त हैं, कोई भी इस्लामी सामाजिक नियम मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव नहीं करता है।[3]

हाल के वर्षों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के भीतर महिलाओं को रणनीतिक रूप से सशक्त बनाने की प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों में उज्ज्वला योजना जैसे परिवर्तनकारी कार्यक्रम शामिल है इससे जिससे गरीबी रेखा के से नीचे के परिवारों (बड़ी संख्या में लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं) कि 9.59 करोड़ से अधिक महिलाओं को एल पी०जी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच से परे इस योजना ने उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार किया है और रसोई से संबंधित भोज को काम किया है इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के लखपति दीदी योजना का लक्ष्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम चलता और आर्थिक स्वतंत्रता का को बढ़ावा देकर 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है यह पहला आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को सक्षम करते हुए प्रति परिवार कम से कम एक लाख वार्षिक अस्थाई या सुनिश्चित करने का प्रयास करती है लखपति दीदी पल का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम महिला सशक्तिकरण के लिए रखा गया है यह बहु आयामी योजनाएं नीतिगत सुधारो से कहीं अधिक है
यह लैंगिक समानता, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशिता की दिशा में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है तथा मुस्लिम महिलाओं का जीवन को बेहतर बनाने उनके अधिकार, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबंध पर प्रकाश डालता है और न्याय संगत सशक्त समाज का मार्ग प्रशस्त करती है।[4]

साल 2012 में निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा मुद्दे का भी नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बनने में अहम योगदान रहा। मोदी सरकार ने 10 योजनाओं पर काम शुरू किया है जो महिलाओं के कल्याण व सशक्तिकरण के लिए सशक्तिकारण के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं:

1. तीन तलाक,
2. महिलाओं को हज पर अकेले जाने का अधिकार,
3. पोक्सो कानून में संशोधन,
4. वन स्टाप केंद्र योजना,
5. वर्किंग वूमेन हॉस्टल,
6. महिला शक्ति केंद्र योजना,
7. उज्जवला योजना,
8. सेना में महिलाओं की स्थाई एंट्री,
9. गर्भवती महिलाओं के लिए आर्थिक मदद योजना,
10. मुस्लिम कन्या शिक्षा।[5]

भारत की सामाजिक संरचना में कई हास्य पर रहने वाले वर्ग शामिल जैसे दलित जनजाति धार्मिक जनसंख्या समूह की महिलाएं एवं अल्पसंख्यक बुजुर्ग और कठिन परिस्थितियों में बच्चे (जोस और सुल्ताना 2012)। इसमें से अधिकांश जो इन श्रेणियो से संबंधित है। उनमें रोजमर्रा के जीवन में अधिकारो के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। मुस्लिम महिलाएं एक ऐसा समूह है, जो लिंग विभाजन और पूर्वाग्रह के कारण पितृसत्ता और संरचनात्मक विकलांगता के प्रति संवेदनशील है। (जोस एट०अल 2010) इसलिए मुस्लिम महिलाओं को औपचारिक और गैर औपचारिक न्याय संस्थानों तक बेहतर पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यवस्थित प्रयास करने की आवश्यकता है, यह अध्ययन मानता है कि सशक्तिकरण का औपचारिक न्याय संस्थानों जैसे कानून की अदालत, नीति, स्थानीय निकाय और वैकल्पिक पारंपरिक संघर्ष समाधान तंत्र तक पहुंच में सुधार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।[6]

आधुनिक समय मुस्लिम स्त्रिया साहित्य, कविता, कला, चिकित्सा,गणित के क्षेत्र में अपना स्थान बना रही हैं, जबकि कुछ कट्टरपंथी मौलवियों ने स्त्री के लिए धार्मिक शिक्षा को उचित ठहराया है। पितृसत्तात्मक मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को लेकर डरा हुआ है क्योंकि वह स्त्री से अपने को नीचे नहीं देख सकता। इसलिए उसने अपने को बचाने और अपने दबदबा को स्त्रियों पर कायम रखने के लिए धर्म का सहारा लिया है। कट्टरपंथी मौलवियो ने कुरान की आयतों का गलत विश्लेषण कर कम पढ़े लिखे वर्गो को बेवकूफ बनाया है। इस्लाम में औरतों को जितना जरूरी बताया गया है इसके विपरीत संकीर्ण मानसिकतावादीयो ने उसे खास जरूरी न कहकर घरेलू धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने पर अधिक बल दिया है।[7]

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

मुस्लिम महिलाओ के सशक्तिकरण क जांच मे मुख्य रूप से राष्टीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4(NFHS–4),अखिल भारतीय रिपोर्ट, भारतीय जनगणना रिपोर्ट, 2011 और संख्याकी रिपोर्ट,भारतीय चुनाव आयोग से प्राप्त आकड़ों के माध्यम से प्राप्त स्त्रोतों के आधार पर महिला सशक्तिकरण के विभिन्न संकेतकों–घरेलू निर्णय लेने मे भागीदारी घर के बाहर आवाजाही की स्वतंत्रता,राजनीतिक भगदारी और शिक्षा और सार्थक रोजगार तक पहुँच का उपयोग सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों को मापने के लिए किया जाता हैद्य अध्ययन के निष्कर्ष बताते है कि भारत मे मुस्लिमों महिलायें अपेक्षाकृत रूप से अशक्त है और वें अन्य समुदायों के पुरुषों और अमहिलाओं की तुलना म निम्न स्तिथि का आनंद लेती है, चाहे सशक्तिकरण को कैसे मापा जाए, चाहे वह साक्ष्य,स्त्रोतों या सशक्तिकरण के संकेतकों के संदर्भ मे हो महिलाओं की घरेलू निर्णय लेने की शक्ति और आवागमन की स्वतंत्रता के बारे मे जानकारी यह भी दर्शाती है की मुस्लिम महिलायें दो तरफ से समाज के सबसे काम सशक्त और वंचित वर्गों मे से एक है, एक तो महिला के रूप मे जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से रूढ़िवादी है। अध्ययन का निष्कर्ष है की शैक्षिक स्तर मे सुधार मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक स्तिथि को सीधे प्रभावित करेगा, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति काफी हद तक लैंगिक समानता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है।[8]

निष्कर्ष– अधयन द्वारा स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण में औपचारिक और गैर औपचारिक न्याय प्रणालियों में शामिल करने की महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। इसमें प्रदर्शित किया गया है औपचारिक और गैर औपचारिक दोनों न्याय तक मुस्लिम महिलाओं के पहुंच को सुधार के लिए विभिन्न सशक्तिकरण दृष्टिकोण का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं का जीवन के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं में सशक्तिकरण ने सामाजिक समावेशन में सुधार करते हुए सामाजिक बहिष्कार को काफी कम कर दिया हैद्य मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण मे महिलाओं को ज्ञान, कौशल और व्यक्तिगत गुणों से लैस करना शामिल है जो उन्हे अपने जीवन के विकल्पों पर नियंत्रण रखने और सूचित निर्णय लेने म सक्षम बनाता है जिससे अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैद्य महिला सशक्तिकरण तब तक साकार नहीं होगा जब तक की सभी संबंधित पक्ष मुस्लिम महिलाओं के लिए संतवादी अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने क लिए सहयोग से काम नहीं करेंगेद्य मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण सरकारी एजेंडे मे प्राथमिकता होनी चाहिए और इसे संबिधान और सरकारी नीतियों मे शामिल किया जाना चाहिएद्य

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मुस्लिम महिलाओं की सशक्तिकरण को शिक्षा आवश्यक बाई जागरण एडिटेड बाय पब्लिश्ड फ्राइडे 21 दिसंबर पटना सिटी।
2. आमनाहा फारूकी (मोदी के फैसले ने बदली मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी) पब्लिश्ड 4 मार्च।
3. (नारीवाद राजनीति– संघर्ष एवं मुद्दे) साधना आर्य, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली।
4. दैनिक बेजोड़ रत्न (महिला सशक्तिकरण मुस्लिम महिलाओं के लिए परिवर्तनकारी पहल) पब्लिश्ड 10.2.2024.
5. जन्मदिन विशेष इन 10 योजनाओं के तहत पीएम मोदी ने चार साल में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया (पत्रिका) नई दिल्ली।
6. शगुना चेराई, जस्टिन पी०जोस (मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशनरू एक नए वैचारिक मॉडल की ओर ग्रामीण अध्ययन) जनरल खंड 45.5 जून 2016 पृष्ठ 243– 251.
7. शाहीद लतीफ (मुस्लिम वूमेन इन इस्लाम) अदम पब्लिकेशन दिल्ली।
8. सानू, एमडी सहनेवाज (2018)रूभारत मे मुस्लिम महुलाओ का सशक्तिकरणरू सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक असमानताओ का एक अध्ययन।

*****